



न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना

कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत पीडवा

कीटारीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

सत्यमेव जयते

राजसूचि संख्या: 2017/142

दायरा दिनांक 31.05.2017

वादिनी	प्रतिवादीगण
1. मिकूडीदेवी पत्नि धन्नापुरी जाति मुसाई निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	1. भंवरू पिता भेरू 2. मंगला पिता भेरू 3. मादू पिता भेरू 4. राजना पत्नि बन्नाराम 5. मोहनराम पुत्र बन्नाराम समस्त जाति राईका निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 6. रामदेव पुत्र पेमाराम 7. सुरजमल पुत्र पेमाराम 8. मदनलाल पुत्र पेमाराम 9. गणपतराम पुत्र पेमाराम 10. मगराज पुत्र पेमाराम 11. जगदीश पुत्र पेमाराम समस्त जाति ब्रह्मण्य निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल 13. तेजाराम पुत्र मांगीलाल 14. जगदीश पुत्र मांगीलाल समस्त जाति जाँगिड निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 15. हजारीराम पुत्र अमानाराम 16. भूसाराम पुत्र अमानाराम 17. सायरी पत्नि अमानाराम 18. तुलछा पत्नि हीरा 19. घीसाराम पुत्र हीराराम 20. वीरमाराम पुत्र हीराराम समस्त जाति राईका निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 21. धनराज पुत्र डुगौराम जाति ब्रह्मण्य निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 22. श्रवणराम पुत्र भोपाला जाति राईका निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 23. सूवटी पत्नि बालाराम 24. रेशमीदेवी पत्नि छोटूराम समस्त जाति जाँगिड निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)

बनाम्

सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

		25. मूरलीधर पुत्र आसकरण जाति ब्रह्मण निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)
		26. मेनेजर साहब एस. वी. आई. बैंक शाखा छोट्टीखादू तह. डीडवाना
		27. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

दावा बाबत

बन्टवाडा खेत व स्थाई निषेधाज्ञा व

हस्ब धारा 53,188, राज. काश्तकारी अधि.

उपस्थित-

1. वादिनी जरिये अधिवक्ता के उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण सं 24 ता 25 स्वयं उपस्थित ।

--: निर्णय :-


दिनांक 08.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, मौजा कुडोली पटवार क्षेत्र पीडवा की शहरद मे खेत ख.न. 41 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा, स्थित है। जो वादिनी व प्रतिवादीगण सं 01 ता 25 की सामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन है। नकल खतौनी सम्वत 2070-2073 पेश है।

उक्त सामलाती खातेदारी के खेत में वादिनी का निम्न प्रकार हिस्सा है:-  
(क) वादिनी के खरीद सुंदा व खातेदारी मे दर्ज सुंदा हिस्सा व बन्ट :-  
खेत ख.न. 41 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा, मे से 10 बिस्वा (श्रवणराम के हिस्से में से) जमीन नजरी नक्शे के अनुसार

ख.न. 41 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा, में से वादिनी ने श्रवणराम के हिस्से में से 10 बिस्वा जमीन जरिये बैचाण रजिस्ट्री के खरीद की थी। उक्त बैचाण रजिस्ट्री से खरीद की गई भूमि का म्युटेशन वादिनी के नाम दर्ज हो चुका है। वक्त बैचाण रजिस्ट्री के वक्त श्रवणराम के साथ सहखातेदारानो ने जमीन का मौखिक रूप से बन्टवारा कर अलग-अलग काश्त कर रहे है। तथा वादिनी भी श्रवणराम के हिस्से में से वक्त बैचाण रजिस्ट्री के वक्त श्रवणराम ने मौके पर जहाँ नाप चोक कर कब्जा सभलाया था वहाँ वादिनी ने अपनी जमीन के चारो तरफ उडा निकाल कर अपनी जमीन में रहवासी मकान बना रखे है। उक्त हिस्से व बन्ट की जमीन को वादिनी ने अपने नजरी नक्शे में दर्शाया है। उक्त नजरी नक्शा इस वाद का अहम भाग है।

बन्टवारा प्रतिवादी सं. 01 ता 25 करने से इनकार होने व मामला अचल सम्पति का है। खेत पर वादिनी का वक्त बैचाण रजिस्ट्री के समय से कब्जा काश्त है। व जमीन के चारो तरफ उडा निकाल कर रहवासी मकान बने हुए है। जिसमें वादिनी सपरिवार निवास करती है। उक्त जमीन बाई मिटस एण्ड वाउण्डस से बन्टी हुई नही होने से वादिनी की जमीन की

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

सीव मौके पर कायम करनी जरूरी हो गई है प्रतिवादी सं. 01 ता 25 सामलाती खातेदारी की ओट में वादिनी के कब्जे की जमीन बैचने पर उतारू है। इस लिए वादी अपने बन्ट व बैचाण रजिस्ट्री से खरीदी जमीन का नजरी नक्शा के अनुसार बन्टवारा कराने हेतु बन्टवारा का दावा पेश करती है।

कुल खेत की जमीन बाई मिटस एण्ड वाउडन्स से बन्टी हुई नहीं है। राजस्व रेकर्ड में सबकी सामलाती खातेदारी में दर्ज है। वर्तमान में जमीनों के भाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। जिससे प्रतिवादीगण 01 ता 25 के मन में लालच आ गया है। और वे उक्त खेत की सामलाती खातेदारी की ओट में वादिनी के हिस्से व कब्जा काशत का खेत बैचने के फिराक में हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 25 वादिनी को खेत से बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोकना जरूरी है। जिस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश है।

बन्टवारे का दावा में राज्य सरकार के प्रतिनिधी श्रीमान तहसीलदार डीडवाना को इस वाद में लैण्ड होल्डर होने से उन्हें प्रतिवादी सं 27 बनाया गया है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की इशतदुआ नहीं चाही गई है। इस लिए दो माह का कानूनी नोटिश दिये बगैर ही दावा पेश किया जा रहा है। इसी अनुसार अन्य प्रतिवादीगण का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 26 के पक्ष में खेत राहिन होने से इस वाद में प्रतिवादी 26 बनाया गया है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार की इशतदुआ नहीं चाही गई है।


प्रार्थना वादिनी है।

कि वादिनी का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण सं 01 ता 25 डिक्री फरमाया जावे तथा मौजा कुडोली पटवार क्षेत्र पीडवा की शहरद में खेत ख.न. 41 रकबा 51 ग्रीघा 16 बिस्वा, जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड वाउडन्स से कर वादिनी के खातेदारी व कब्जा काशत की जमीन कुल खसरे की 10 बिस्वा जमीन जिसको वादिनी ने अपने नजरी नक्शे में दर्शाया है उक्त हिस्से की जमीन अलग से वादिनी की खातेदारी में दर्ज की जावे। तथा राजस्व रेकर्ड में इसी माफीक दुरुस्ती फरमाई जावे। तथा खातेदार गोदावरी पत्नि पेमाराम फौत हो चुकी है। उसके वारिसान पहले से खातेदार है। उनका नाम खातेदारी से हटाया जावे।

कि स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादिनी बर खिलाफ प्रतिवादीगण 01 ता 25 इस अमर की सादिर फरमाई जावे कि वादिनी के बन्ट में आने वाली कुल खसरे की 10 बिस्वा जमीन जिसको वादिनी ने अपने नजरी नक्शे में दर्शाया है उक्त 10 बिस्वा जमीन में प्रतिवादीगण सं 01 ता 25 भविष्य में न तो स्वयं दखल करे और न किसी अन्य अपने एजेन्ट से दखल करावे।

वादिनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 27 को वास्ते जवाबदेही हेतु कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत पीडवा में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 23 व 26 ता 27 बावजूद तामिलगी के कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत पीडवा में अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

प्रतिवादीगण संख्या 24 ,ता 25 स्वयं ने दिनांक 08.06.2017 को कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत पीडवा में पेश होकर अपनी जमीन भी उपरोक्त खसरे से अलग करने का निवेदन किया व अपनी जमीन का नजरी नक्शा पेश किया। पक्षकारान् जरिये सहमति अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत हैं।

वादिनी व प्रतिवादी संख्या 24 व 25 को मजमे आम सूना गया व मौतबीरान से पुछताछ की गई वादिनी व प्रतिवादी संख्या 24 व 25 की जमीन होना व रहवासी मकान होना साबित हुआं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया व उन पर मनन् किया गया।

अतः पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत सहमति व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादिनी व प्रतिवादी संख्या 24 का 25 का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

**:-आदेश :-**

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा कुडोली पटवार क्षेत्र पीडवा की शहरद मे खेत ख.न. 41 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा,जमीन का बन्टवारा बाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादिनी के खातेदारी व कब्जा काशत की जमीन कुल खसरे की 10 बिस्वा जमीन जिसको वादिनी ने अपने नजरी नक्शे मे दर्शाया है उक्त हिस्से की जमीन अलग से वादिनी की खातेदारी में दर्ज की जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 24 रेशमीदेवी की 11 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 25 मुरलीधर की 03 बिस्वा जमीन प्रतिवादी संख्या 24 व 25 द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार उक्त हिस्से की जमीन अलग से प्रतिवादी संख्या 24 रेशमीदेवी व प्रतिवादी संख्या 25 मुरलीधर की खातेदारी में दर्ज की जाती है। तथा राजस्व रेकर्ड में इसी माफीक दुरुस्ती फरमाई जावे। तथा खातेदार गोदावरी पत्नि पेमाराम फौत हो चुकी है। उसके वारिसान पहले से खातेदार है। उनका नाम खातेदारी से हटाया जाता है। नजरी नक्शा अनुसुची „क,, व प्रतिवादी संख्या 24 व 25 द्वारा पेश नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(सहायिक शोखावत R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
डोडवाना (नागौर)  
डोडवाना

निर्णय आज दिनांक 08.06.2017 को सरे आम कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत पीडवा में सुनाया गया।


(सहायिक शोखावत R.A.S.)  
सहायक कलेक्टर  
डोडवाना (नागौर)  
डोडवाना

डिगरी बमुकददमें इवतदाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना  
कोर्ट केम्प ग्राम पंचायत पीडवा  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/142 दायरा दिनांक 31.05.2017

वादिनी	प्रतिवादीगण
1. निकुडीदेवी पत्नि धन्नापुरी जाति गुसाई निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.)	1. भंवरू पिता भैरू 2. मंगला पिता भैरू 3. मादू पिता भैरू 4. सजना पत्नि बन्नाराम 5. मोहनराम पुत्र बन्नाराम समस्त जाति राईका निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 6. रामदेव पुत्र पेमाराम 7. सुरजमल पुत्र पेमाराम 8. मदनलाल पुत्र पेमाराम 9. गणपतराम पुत्र पेमाराम 10. मगराज पुत्र पेमाराम 11. जगदीश पुत्र पेमाराम समस्त जाति ब्रह्मण निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 12. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल 13. तेजाराम पुत्र मांगीलाल 14. जगदीश पुत्र मांगीलाल समस्त जाति जाँगिड निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 15. हजारीराम पुत्र अमानाराम 16. भूराराम पुत्र अमानाराम 17. सायरी पत्नि अमानाराम 18. तुलछा पत्नि हीरा 19. घीसाराम पुत्र हीराराम 20. बीरमाराम पुत्र हीराराम समस्त जाति राईका निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 21. धनराज पुत्र डुगौराम जाति ब्रह्मण निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 22. श्रवणराम पुत्र भोपाला जाति राईका निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 23. सूवटी पत्नि बालाराम 24. रेशमीदेवी पत्नि छोटूराम समस्त जाति जाँगिड निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 25. मूरलीधर पुत्र आसकरण जाति ब्रह्मण निवासी कुडोली तहसील डीडवाना जिला नागौर (राज.) 26. मेनेजर साहब एस. बी. आई. बैंक शाखा छोटीखादू तह. डीडवाना 27. श्रीमान तहसीलदार साहब डीडवाना

बनाम्

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

दावा बाबत  
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा


दिनांक 08.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिव मुद्दई श्री,वादिनी उपस्थित व प्रतिवादीगण सं० 24 ता 25 उपस्थित । मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि—

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, मौजा कुडोली पटवार क्षेत्र पीडवा की शहरद मे खेत ख.न. 41 रकबा 51 बीघा 16 बिस्वा,जमीन का बन्टवारा वाई मिटस एण्ड बाउन्डस से कर वादिनी के खातेदारी व कब्जा काशत की जमीन कुल खसरे की 10 बिस्वा जमीन जिसको वादिनी ने अपने नजरी नक्शे मे दर्शाया है उक्त हिस्से की जमीन अलग से वादिनी की खातेदारी में दर्ज की जाती है। तथा प्रतिवादी संख्या 24 रेशमीदेवी की 11 बिस्वा व प्रतिवादी संख्या 25 मुरलीधर की 03 बिस्वा जमीन प्रतिवादी संख्या 24 व 25 द्वारा पेश नजरी नक्शे के अनुसार उक्त हिस्से की जमीन अलग से प्रतिवादी संख्या 24 रेशमीदेवी व प्रतिवादी संख्या 25 मुरलीधर की खातेदारी में दर्ज की जाती है। तथा राजस्व रेकॉर्ड में इसी माफीक दुरुस्ती फरमाई जावे। तथा खातेदार गोदावरी पत्नि पेमाराम फौत हो चुकी है। उसके वारिसान पहले से खातेदार है। उनका नाम खातेदारी से हटाया जाता है। नजरी नक्शा अनुसुची „क., व प्रतिवादी संख्या 24 व 25 द्वारा पेश नजरी नक्शा निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो।


इसी अनुरूप पृथक खसरा, रकबा, लगान कायम कर राजस्व रिर्कॉर्ड में अंकन किया जावे। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड दुरुस्त हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....-..... मुवलिंग.....-..... वावत.....-.....  
.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। वसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 08.06.2017 को जारी की गयी।

  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			थमजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

  
सहायक कलेक्टर  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)